ग्राम पंचायत हारबोह, विकास खण्ड रैत जिला काँगडा, हि• प्र• –176206 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023

भाग–एक

1. (क)प्रस्तावना

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत हारबोह, विकास खण्ड रैत, जिला काँगडा हि0 प्र0 के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :–

प्रधानः–

क्र•स•	नाम	अवधि
1	श्रीमती सपना देवी	01.04.2021 से 31.03.2023

सचिव :–

क्र•स•	नाम	अवधि
1	श्री चण्डीदत शर्मा	01.04.2021 से 07.08.2021
2	श्रीमती मोनिका देवी	09.08.2021 से 31.03.2023

तकनीकी सहायक :–

क्र•स•	नाम	अवधि
1	श्री उतम चन्द	01.04.2021 से 15.06.2021
2	श्री अनिल कुमार	16.06.2021 से 31.03.2023

ग्राम रोजगार सहायक :–

क्र•स•	नाम	अवधि
1	श्री संजय कुमार	01.04.2021 से 31.03.2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत हारबोह के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:–

क्र0 सं0	पैरा सं•	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4(ग)	रोकड़ बही व बैंक के अन्त शेषो में भारी अन्तर पाया जाना	3.18
2	6.1	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	22.59
3	7.1	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.39
4	8.1	क्रय किये गये सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत दर्ज न करना।	0.85
5	8.2	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक का क्रय करना	1.40
6	8.3	खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करना	0.50
7	8.4	न्यूनतम निविदा आधार पर स्वीकृत दरों पर वस्तु एवं सेवा कर का अतिरिक्त भुगतान करना	0.05
8	10	माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करना	18.16

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:–

हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत हारबोह का गत अंकेक्षण अवधि 01/04/2013 से 31/03/2016 के लिये किया गया था जिसके शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्नलिखित है:–

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2013 से 31/03/2016 तक

क्र0सं0	पैरा स.	निर्णीत/अनिर्णीत	अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1.	3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क प्राप्ति की पुष्टि उपरान्त
2.	4	निर्णीत	जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.22 से 12.01.22 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान निर्णीत।
3.	5	निर्णीत	जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.22 से 12.01.22 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान निर्णीत।
4.	6	अनिर्णीत	–
5.	7	अनिर्णीत	–
6	8	अनिर्णीत	–
7	9	अनिर्णीत	–
8	10	निर्णीत	जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.22 से 12.01.22 ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान निर्णीत।
9	11	अनिर्णीत	–
10	12	अनिर्णीत	–
11	13	अनिर्णीत	–
12	14	अनिर्णीत	–
13	15	अनिर्णीत	–
14	16	अनिर्णीत	–

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत हारबोह के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री प्रवीन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक व श्री राहुल कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा

दिनांक 22.11.2023 से 29.11.2023 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जाँच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वःस्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गयाः–

वर्ष	आय	व्यय
2021–22	03/2022	03/2022
2022–23	03/2023	09/2022

अस्वीकरणः–वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹5600/– आंका गया है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा/अ.वृ.का./2023/–242 दिनांक 29.11.2023 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया।

4.1 (क).वित्तीय स्थितिः–

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ.वृ.का./2023/–229 दिनांकः 22.11.2023 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया हैः–

1.स्वःस्त्रोतः—

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4—5)
1	2	3	4	5	6
2021—22	379520	432486	812006	359606	452400
2022—23	452400	272834	725234	562327	162907

2.अनुदानः—

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4—5)
1	2	3	4	5	6
2021—22	1679710	3849442	5529152	3662055	1867097
2022—23	1867097	8317546	10184643	7925868	2258775

कुल योग (1+2) 162907+2258775 = **2421682**

(ख) बैंक समाधान विवरणीः—

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2023 को रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति से ₹2421682/- तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि के अन्तशेष ₹2739786/— से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार हैः—

	बैंक खातों की विवरणीः—			
क्र0 सं0	विवरण	बैंक	खाता	अन्त शेष (₹)
1	स्वःस्त्रोत/5वाँ वित्त	का•के•सह•बैंक रूलेहड	20040016707	263138
2	5वाँ वित्तायोग	का•के•सह•बैंक रूलहेड	50074621952	171179
3	टी.एस.सी/एस.बी.एम	का•के•सह•बैंक रूलेहड	50055747751	0
4	वी.एम.जे.एस	पी.एन बैंक दरिणी	1998000102140979	197755

5	एम.पी.लेड	पी.एन बैंक दरिणी	1998000102129143	25333
6	आई.सी.डी.एस	का•के•सह•बैंक रूलेहड	50055747682	695
7	वी.के.वी.एन.वाई / एस.डी.पी / एल.ए.डी.ए	का•के•सह•बैंक रूलेड	50056040037	395037
8	आई.डबल्यू.एम.पी	पी.एन बैंक दरिणी	1998000102128214	0
9	14वाँ वित्तायोग	का•के•सह•बैंक रूलहेड	50055747784	917
10	15वाँ वित्तायोग	पी.एन बैंक दरिणी	1998000102140988	1685408
11	हस्तगत शेष			324
बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2023 का कुल योग:				₹2739786
दिनांक 31.03.2023 को बैंक समाधान विवरणी :–				
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार (पैरा 4) अन्तशेष:–				₹2421682
पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2023 का अन्तशेष:–				₹2739786
अन्तर:–				318104

नोट:– अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

(ग) रोकड़ बही शेषों का बैंक खातों के शेषों के साथ नियमानुसार मिलान न करने के कारण ₹3.18 लाख का भारी अन्तर पाया जाना:–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत हारबोह द्वारा हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी, जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.03.2023 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹3,18,104/- का अन्तर बैंक में अधिक शेष के रूप में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा–4 में दिया गया है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2023 / 239 दिनांक: 28.11.2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके उत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 106 दिनांक 29.11.2023 द्वारा अवगत करवाया गया कि बैंक समाधान विवरणी तैयार करके अन्तर का मिलान कर दिया जायेगा।

अतः अन्तर के कारणों बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तथा वर्तमान में अन्तर का शीघ्रातिशीघ्र मिलान करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके तथा बैंक एंव रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये

(घ) लेखा खाता/खाताबही तैयार न करनाः—

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 29(1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता/खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि की खाताबहियाँ/लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाताबहियाँ/लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस—किस कार्य हेतु कितनी—कितनी राशि प्राप्त हुई व किस—किस कार्य पर कितना—कितना व्यय हुआ है तथा किस कार्य को पूरा किया जा चुका है। यह एक गम्भीर अनियमितता है। इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/241 दिनांक— 28/11/2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 106 दिनांक 29.11.2023 द्वारा अवगत करवाया गया कि वर्तमान समय से खाताबहियाँ/लेखा खाते तैयार किये जा रहे है।

अतः अंकेक्षण अवधि की खाताबहियाँ/लेखा खाते तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अंकेक्षण अवधि की खाताबहियाँ/लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाताबहियाँ/लेखा खाते तैयार किये जाने सुनिश्चित किये जाये व कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

(ङ) खाता–क व खाता–ख का रख–रखाव अलग–अलग न रखनाः–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई सहिंता सख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिये पंचायत निधि खाता–क खोला जायेगा। इसी तरह नियम 3 में दर्शाई सहिंता संख्या 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिये आबंटित निधियां और प्राप्त ऋण हेतु खाता–ख खोला जायेगा। इसके अतिरिक्त निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच–एच.ए (5) सी (15) –(13) (एल) 5–47005–81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज खाते खोले जाने का प्रावधान है।

ग्राम पंचायत हारबोह द्वारा स्वयं स्त्रोत व अनुदान राशि का खाता–क व खाता–ख अलग–अलग से तैयार नहीं किया गया था बल्कि स्वः स्त्रोत व अनुदान की सयुंक्त रोकड़ बही लगाई गई थी तथा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार स्वःस्त्रोत, तीसरा वित्त आदि शीर्षो के अन्तर्गत प्राप्त अनुदानों के लिये नियमों एंव निर्देशो के विरूद्ध एक खाता 2040016707 खोला गया था तथा वी.के.वी.एन.वाई, एस.डी.पी, एल.ए.डी.ए के लिये एक खाता 50056040037 खोला गया था, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है, जोकि नियमों के विपरीत है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/241 दिनांकः 28.11.2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 106 दिनांक 29.11.2023 द्वारा दिया गया उत्तर कि भविष्य में खाता–क व खाता–ख का अलग–अलग अनुसंधारण कर दिया जायेगा।

अतः नियमानुसार रोकड़ बही एवं स्कीमवार खातों का रख–रखाव न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में खाता–क व खाता–ख के अनुरूप रोकड़ बही का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5 निवेश न करने बारेः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई थी तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के निधि खाते में अंकेक्षणावधि के दौरान ₹3,79,520 से ₹162907 तक की राशि शेष थी। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/241 दिनांकः 28.11.2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 106 दिनांक 29.11.2023 द्वारा भविष्य में अनुपालना का आश्वासन दिया है।

अतः इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 12 (1) के अंतर्गत उल्लेखित प्रारूप–1 के अनुसार निवेश रजिस्टर का संधारण किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये।

6.1 अनुदान की राशि ₹22.59 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना:–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिग एजेन्सी की अपेक्षाओं एवं मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/–229 दिनांक 22.11.2023 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना जो कि **परिशिष्ट–1 व परिशिष्ट–2** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31–03–2023 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹22,58,775/– की राशि उपयोग हेतु शेष थी:–

क.स.	अनुदान का नाम	दिनांक	राशि (₹)
1.	एस.डी.पी /वी.के.वी.एन.वाई/एल.ए.डी.ए	31.03.2023	396707
2	आई.सी.डी.एस	31.03.2023	1040
3	वी.एम.जे.एस	31.03.2023	149365
4	एम.पी.लेड	31.03.2023	25331
5	14वाँ वित्तायोग	31.03.2023	924
6	15वाँ वित्तायोग	31.03.2023	1685408
		कुल जोड़	**2258775**

उपरोक्त तथ्य स्पष्ट करते हैं कि उक्त शीर्षो के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यो का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने से यह पंचायत पीछे है। विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, परन्तु ऐसा न

होने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अतः अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

6.2 अनुदान रजिस्टर का रख–रखाव न करना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 61(1) के अंतर्गत उल्लेखित फार्म 21 के अनुसार अनुदान रजिस्टर का संधारण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अनुदान रजिस्टर का रख–रखाव नहीं किया गया था जिसके अभाव में प्रस्तुत अनुदानों की वितीय स्थिति का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। अतः भविष्य में नियमों के अनुसार रजिस्टर तैयार एवं अद्यतन (Update) करके समस्त प्राप्त अनुदान व अनुदान राशि से किये गये व्यय का लेखाकंन अनुदान रजिस्टर में करने उपरान्त अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

7.1 सम्पति कर/गृहकर की ₹0.39 लाख की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 100 तथा हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत द्वारा सम्पति कर/गृहकर की वसूली की जानी अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां /2023/–229 दिनांकः 22/11/2023 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत निम्न तालिका व **परिशिष्ट–"3"** में दिये गये विवरणानुसार सम्पति कर/गृहकर की मद में ₹38,650/– की राशि दिनांक 31.03. 2023 को वसूली हेतु शेष थी। जिससे यह स्पष्ट होता है कि पंचायत अपने राजस्व की उगाही

के प्रति गम्भीर नहीं है। सम्पति कर/गृहकर की वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

वितीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2021-22	29850	358	50	17900	47750	15500	32250
2022-23	32250	364	50	18200	50450	11800	38650
नोटः– दिनाँक 31.03.2023 को बकाया सम्पति कर/गृहकर की राशि ₹ 38650/– है।							

अतः पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों की तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवर्ष की जानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.2 गृहकर मांग व संग्रहण रजिस्टर तैयार न करना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम के नियम 33 व 77 के अनुसार फार्म 10 पर पंचायत के गृहकर की मांग व एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है।

पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत के गृहकर मांग व एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था। अतः गृहकर मांग एवं संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व शीघ्रातिशीघ्र इसे तैयार करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये।

उक्त वसूली न करने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/241 दिनांकः 28/11/2023 के अन्तर्गत सचिव ग्राम पंचायत हारबोह के ध्यानार्थ लाया गया, जिसकी वसूली रसीद संख्या 023684 से 023690 के द्वारा करके खाता संख्या 20040016707 में दिनांक 28.11.2023 को जमा करवा दी गई है, जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर ली गई है।

7.3 विवाह पंजीकरण के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारेः–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या–SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त की जानी अपेक्षित है तथा जिसे समय–समय पर वसूल करने के उपरान्त विवाह पंजीकरण अधिनियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या ''0235–00–800–03'' में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान निम्न विवरणानुसार पाया गया कि ग्राम पंचायत हारबोह द्वारा वर्ष 2021–22 व 2022–23 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया थाः–

क्र0संख्या	वितीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)
1.	2021–22	1600
2	2022–23	4600
	जोड	**6200**

उक्त विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/241 दिनांकः 28/11/2023 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत हारबोह के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 106 दिनांक 29/11/2023 द्वारा स्पष्ट किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि सरकारी कोष में जमा करवा दी जाएगी।

अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

7.4 रसीद बुकों का अधूरा उपयोग करके रसीदें खाली छोड़ने बारे:–

आय के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा बार–बार रसीद बुकों का अधूरा उपयोग करते हुये अंकेक्षणावधि में ही चार रसीद बुकों में 183 रसीदें खाली छोड़ी गई थी जिनका विवरण निम्न तालिका में है। यह खाली रसीदें किस उद्देश्य से छोड़ी गई हैं इस बारे अंकेक्षण को कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया। अतः इस सन्देहजनक कार्यप्रणाली बारे उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त इन खाली रसीदों का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रसीद बुक क्रमाँक	उपयोग की गई अन्तिम रसीद संख्या	खाली रसीदों की संख्या
1.	0795201 से 0795300	0795246	54
2.	0795301 से 0795400	0795303	97
3.	0795001 से 0795100	0795078	23
4.	0795101 से 0795200	0795191	09
	खाली रसीदों की कुल संख्या		**183**

8.1 क्रय किये गये सामान राशि ₹0.85 लाख का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न होना:–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए.बी.सी.डी.) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गए भण्डार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25,26,27 व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत हारबोह के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–"4"** पर संकलित

राशि ₹85,463 के स्टॉक को क्रय उपरान्त स्टाक रजिस्टरों में दर्ज नहीं किया गया था, जिससे क्रय हेतु कृत व्यय का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/241 दिनांकः 28/11/2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 106 दिनांक 29.11.2023 द्वारा अवगत करवाया गया कि वर्तमान समय से स्टॉक प्रविष्टियां की जा रही है। प्रस्तुत उतर अस्पष्ट एवं अंकेक्षणापत्ति अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः क्रय किये गये सामान का इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति को रोका जाये तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.2 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹1.40 लाख के स्टॉक का क्रय करनाः—

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) के अन्तर्गत पंचायत द्वारा किये जाने वाले व्यय से सम्बन्धित निविदा आदि औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

ग्राम पंचायत हारबोह के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–"4"** में दिए गए विवरणानुसार ₹1,40,476/– का व्यय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है।

उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/241 दिनांकः 28/11/2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 106 दिनांक 29.11.2023 द्वारा सूचित किया गया भविष्य में औपचारिकताओं को पूर्ण करके सामान क्रय किया जायेगा। प्रत्युतर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस अनियमितता को तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8.3 खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करने फलस्वरूप सरकारी कोष को ₹0.50 लाख की राजस्व हानि :–

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल नियम 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास फॉर्म डब्लयू या सप्लीमेंटरी पास फॉर्म एक्स उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा।

ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–"5"** पर संलग्न चुनिन्दा वाउचरों के तहत निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास फॉर्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए थे। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को ₹50075/– का अनियमित भुगतान किया गया था। इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/241 दिनांकः 28.11.2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 106 दिनांक 29/11/2023 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की राशि की कटौती कर ली जायेगी। दिया गया उत्तर अंकेक्षणापति के अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है, क्योंकि ट्रांजिट पास फॉर्म को उपलब्ध न करवाने की स्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री की राशि का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25 प्रतिशत पेनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था।

अतः उक्त किये गये अनियमित भुगतान को या तो समर्थित अभिलेख सहित न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय लेखा शीर्षक ''0853'' नॉन फैरस माइनिंग एवं मेटोलोजिकल इंडस्ट्रीज उप–शीर्ष ''102'' मिनरल कन्सेशन फीस किराया एवं रॉयल्टीस ''81''खनिज फीस रियायत आदि में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। पूर्वोक्त मामलों के अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि में क्रय की गई निर्माण सामग्री हेतु रॉयल्टी की राशि की संस्था/विभागीय स्तर पर समुचित गणना कर उसकी भी नियमानुसार वसूली उचित स्त्रोत से करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.4 आपूर्तिकर्ता को न्यूनतम निविदा आधार पर स्वीकृत दरों पर वस्तु एवं सेवा कर ₹0.05 लाख का अतिरिक्त भुगतान करनाः–

अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न प्रकरणों में न्यूनतम निविदा के आधार पर आपूर्तिकर्ताओं से सामग्री का क्रय किया गया था जिसमें क्रय किये गये सामान पर निविदा में प्रस्तुत/स्वीकृत दरों पर अतिरिक्त रूप में वस्तु एवं सेवा कर ₹5227 का अनियमित/अधिक भुगतान किया गया था। जबकि प्रस्तुत/स्वीकृत दरों में वस्तु एवं सेवा कर का अतिरिक्त रूप में भुगतान करने संबंधी कोई प्रावधान नहीं था।

अनुदान	वाउचर सं0 /दिनांक/ बिल सं0	सामग्री	आपूर्तिकर्ता	जी.एस.टी सहित भुगतान	जी.एस.टी बिना भुगतान	अधिक भुगतान
1.निधि	69/19.03.22/5221	दरवाजा, खिडकी (लकडी)	मै0ए.एन.टिम्बर एंड प्लाईवुड सारनु शाहपुर	23647	20040	3607
2.आई.सी.डी.एस	75/28.03.22/220	सेनेटरी सामान	मै0 रचना एंटरप्राइजेज बोह	9000	7380	1620
				जोड		5227

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/–241 दिनांकः 28/11/2023 द्वारा

अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 106 दिनांक 29/11/2023 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अधिक भुगतान की गई राशि की संबंधित संविदाकार/फर्म से वसूली कर ली जायेगी।

अतः न्यूनतम निविदा के आधार पर प्रस्तुत/स्वीकृत निविदा दरों में वस्तु एवं सेवा कर का अतिरिक्त/अधिक रूप में भुगतान करने को या तो नियमों के दृष्टिगत न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार वस्तु एवं सेवा कर के रूप में भुगतान की गई उक्त अधिक राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही ₹2.26 लाख अनियमित भुगतान करनाः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो।

ग्राम पंचायत के लेखों की नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही (संलग्न **परिशिष्ट "4"**) ₹2,25,939/— का भुगतान कर दिया गया है जोकि उक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना है। जिसके अभाव में किये गये भुगतानों की सत्यता व प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकती। एक अत्यंत गम्भीर अनियमितता है।

इस गम्भीर प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/241 दिनांकः 28/11/2023 के अन्तर्गत सचिव ग्राम पंचायत हारबोह के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 106 दिनांक 29.11.2023 द्वारा कि वतर्मान समय से इन नियमों की अनुपालना की जा रही है।

अतः नियमों के विरूद्ध किये गये भुगतानो को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

10 ₹18.16 लाख के निर्माण कार्यो की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने बारेः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह के व्यय वाउचरों के समर्थन में निम्न विवरणानुसार राशि ₹18,15,999/– के निर्माण कार्यो की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे किये गये व्यय पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सकाः–

क्र0सं0	अनुदान	वाउचर सख्या/दिनांक	निर्माण कार्य का नाम	राशि (₹)
1	निधि	69/19.03.22	मुरम्मत पुराना पंचायत घर	23647
2	एस.डी.पी	71/28.03.22	नि0 रास्ता बाग से चकबन	16270
3	आई.सी. डी.एस	73–76/28.03.22	निर्माण शौचालय आंगनबाडी लाम	56995
4	14वां वित	16,17/02.03.22	कार्यलय रख–रखाव	54118
5	14वां वित	18,19/02.03.22	निर्माण छोटा राम की जमीन से गुजरो देवी के घर तक	52660
6	14वां वित	120/02.03.22	निर्माण खेल मैदान रा0व0मा0पा0 बोह के पास	15468
7	मनरेगा	133,144/05.03.22	नि0 कुल्ह बाग से सपेडा तक	34713
8	मनरेगा	134,67,68,69/05.03.22,08.09.22	निर्माण कुल्ह खरू राम के घर से प्रेम सिंह के घर तक	126152
9	मनरेगा	135,146/05.03.22,21.03.22	निर्माण गौउशाला दालती राम	26593
10	मनरेगा	136,147,58/05.03.22,21.03.22,01.09.22	निर्माण गौउशाला सुकर्मा देवी	59370
11	मनरेगा	139/05.03.22	नि0 भूसंरक्षण दालती राम की जमीन में	17661
12	मनरेगा	142,149/05.03.22,21.03.22	नि0 पक्का जीपरोड मड से दादरू	34307
13	मनरेगा	142/05.03.22	नि0 पुली नजदीक डुमनू राम घर	12180
14	मनरेगा	143,150,61,62,84 से 86,92/05.02.	नि0 पक्का जीपरोड कीमत के घर से दालती घर तक	195386

		23,21.03.22,06.09.22,20.09.22		
15	वी.एम.जे.एस	20,21 / 06.09.22	नि0 रेन शेड शमशानघाट रौण भियोड नाले के पास	75200
16	वी.एम.जे.एस	22,23 / 06.09.22	नि0 रेन शेड नोहल शमशानघाट के पास सपेड़ा	75200
17	एस.बी.एम	03,09 / 05.09.22,26.09.22	नि0 सामुदायिक शौचालय केंलग मंदिर गडपून दीनानाथ की जमीन में	50000
18	एस.बी.एम	04,08 / 07.09.22,13.09.22	नि0 सामुदायिक शौचालय दी सहकारी समिति बोह	63489
19	एस.बी.एम	05,06,7 / 07.09.22	नि0 सामुदायिक शौचालय जी.पी.एस लाम	119350
20	15वां वित	43 / 13.09.22	नि0 शौचालय रा0व0मा0पा0 बोह	49400
21	मनरेगा	59 / 06.09.22	नि0 भू संरक्षण प्रेम सिंह की जमीन में	11448
22	मनरेगा	60,77,78,88 / 06.09.22,08.09.22,20.09.22	नि0 भूमि सुधार कार्य रंजीत सिंह की जमीन में	78018
23	मनरेगा	64,90 / 06.09.22,20.09.22	नि0 सुरक्षा कार्य भानी राम की जमीन में	19716
24	मनरेगा	65,76 / 07.09.22,08.09.22	नि0 भू–सुरक्षा कार्य पृथी चन्द जमीन में	53174
25	मनरेगा	66,83 / 07.09.22,08.09.22	नि0 भूमि सुरक्षा कार्य सुभाष की जमीन में	57112
26	मनरेगा	71,72 / 08.09.22	नि0 निकासी नाली कान्तो देवी के घर के पास	84150
27	मनरेगा	73,74,75,93 / 08.09.22,29.09.22	नि0 रास्ता पप्पू राम के घर से प्रशोतम के घर तक	182248
28	मनरेगा	78 / 08.09.22	नि0 निकासी नुप्पो देवी की जमीन में	37530
29	मनरेगा	79,81 / 08.09.22	नि0 भू–संरक्षण शमशानघाट नोहल के पास	51270
30	मनरेगा	82 / 08.09.22	नि0 भूमि संरक्षण कार्य अर्जुन की जमीन में	40986
31	मनरेगा	87 / 20.09.22	नि0 भूमि संरक्षण कार्य प्रेम सिंह की जमीन	15688
31	मनरेगा	89 / 20.09.22	नि0 भूमि संरक्षण कार्य ठाणु राम की जमीन	26500
			कुल योग	**1815999**

उक्त निर्माण कार्यो की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे सचिव ग्राम पंचायत हारबोह से अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2023 / 241 दिनांकः 28 / 11 / 2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके

प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 106 दिनांक 29/11/2023 द्वारा स्पष्ट किया गया कि आगामी अंकेक्षण में माप पुस्तिकाओं को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

अतः संबंधित माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत न कर पाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये।

11 **निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियां:–**

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों की नमूना अंकेक्षण जाँच उपरान्त तथा संलग्न **परिशिष्ट "4"** में दिखाये गये व्यय के अनुसार निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में पाया गया कि निर्माण कार्य निष्पादन हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 में प्रावधित नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है। इन बिलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं:–

1. नियम 96(1) की अनुपालना में अनुभागी/संकर्म समिति नहीं बनाई गई थी जिसके साथ निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत द्वारा उक्त नियमावली के **"परिशिष्ट – ई"** में दिए गए "अनुबन्ध" प्रारूप में अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित था।

2. हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के उप नियम 93 (1) (ए) के अनुसार ग्राम पंचायत को प्रत्येक निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु सहभागी समिति का गठन करना अनिवार्य है ताकि निमार्ण कार्यों में पारदर्शिता स्थापित की जा सके। अंकेक्षण अवधि के अंतर्गत ग्राम पंचायत हारबोह द्वारा निर्माण कार्यो के निष्पादन हेतु सहभागी समिति का गठन नहीं किया गया व सभी कार्य सहभागी समिति के अनुमोदन के बिना स्वंय करवाए गए है, जोकि पंचायती राज अधिनियम 2002 के अध्याय– ग्यारह के उप नियम 93 की अवहेलना है।

3. किसी भी योजना में निर्माण, मनरेगा के अतिरिक्त, सामग्री आपूर्ति के बिलों को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिसके कारण किये गये भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है।

4. निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार टी.डी.एस, रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की थी।

इन अनियमितताओं बारे अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/241 दिनांकः 28/11/2023 द्वार सचिव ग्राम पंचायत हारबोह को अवगत करवाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 106 दिनांक 21.11.2023 द्वारा सूचित किया गया कि वतर्मान समय से इन नियमों की अनुपालना की जा रही है।

अतः उपरोक्त नियमों की अवहेलना किये जाने बारे उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12 नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखों का अनुरक्षण न करनाः—

हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि• प्र• पंचायती राज सामान्य नियम 34 के अंर्तगत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/—229 दिनांकः 22/11/2023 के क्रमांक 9 में मांगी गई जानकारी के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव कार्यालय पत्र संख्या 106 दिनांक 29/11/2023 द्वारा दी गई सूचना तथा पंचायत के लेखों के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न रजिस्टर/अभिलेखों का पंचायत द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया था अथवा अनुरक्षण में नियमों की अवहेलना की गई थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः—

क्र0सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	वर्गीकृत सार	8	29(4)
3.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30

4.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	---	7(3) एवं 10(1) तथा "प्रारूप–5" के आरम्भ में दी गई टिप्पणी
5.	वार्षिक बजट नियमों की अवहेलना करते हुये पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में ही दर्ज किया गया है।	11	37
6	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
8	निर्माण कार्य रजिस्टर	....	103
9	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए बी
10	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)

उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख को अनुरक्षित न किए जाने अथवा अनुरक्षण में नियमों की पूर्ण पालना न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त अब प्राथमिकता के आधार पर इस अभिलेख का अनुरक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

13. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार कभी भी प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका।

अतः समय–समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/–229 दिनांकः 22/11/2023 द्वारा अनुरोध किया

गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 106 दिनांक 29/11/2023 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रत्युतर तर्कसंगत प्रतीत नही होता है।

अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

14 **लघु आपति विवरणिकाः–** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

15 **निष्कर्षः–** लेखों के रख रखाव में हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही है, जिस कारण से लेखाओं के रख–रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

19 JAN 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

448 – 452 का०/प्रति

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)73/2017–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय लोक लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत हारबोह, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

19 JAN 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

का०/प्रति

ANNEXURE -1

FINANCIAL POSITION OF GP HARBOH FOR THE YEAR 2021-22 &2022-23

1 OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2021-22	379520	432486	812006	359606	452400
2022-23	452400	272834	725234	562327	162907

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2021-22	1679710	3849442	5529152	3662055	1867097
2022-23	1867097	8317546	10184643	7925868	2258775

Panchyat Secretary
G.P. Harboh
Dev. Block Rait

25

ANNEXURE – 2

FINANCIAL POSITION OF GRANTS-IN -AID OF GP HARBOH FOR THE YEAR 2021-22 & 2022-23

PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING THE YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCES
SDP/LADA/VKVNY	2021-22	119367	101715	221082	211796	9286
	2022-23	9286	875884	885170	488463	396707
ICDS	2021-22	562	100345	100907	99998	909
	2022-23	909	131	1040	0	1040
VMJS	2021-22	43176	1275	44451	0	44451
	2022-23	44451	582736	627187	477822	149365
TSC	2021-22	3390	68	3458	3442	16
	2022-23	16	959636	959652	959652	0
IWMP	2021-22	429075	19184	448259	448259	0
	2022-23	0	0	0	0	0
MPLAD	2021-22	24056	709	24765	72	24693
	2022-23	24693	674	25367	36	25331
14TH FC	2021-22	624181	107593	731774	635020	96754
	2022-23	96754	41820	138574	137650	924
15TH FC	2021-22	435903	1255085	1690988	0	1690988
	2022-23	1690988	1931731	3622719	1937311	1685408
MGNREGA	2021-22	0	2263468	2263468	2263468	0
	2022-23	0	3924934	3924934	3924934	0

Verified

Panchyat Secretary
G.P. Harboh
Dev. Block Rait

26

(परिशिष्ट–"3" पैरा सख्यां "11" के सन्दर्भ में)

कार्यालय ग्राम पचांयत हारबोह विकास खण्ड रैत जिला कांगडा हि0प्र0 –176206

दिनांक 31–03–2023 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पति कर/गृहकरः–

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्याः 2021–22 तथा 2022–23 में 358 तथा 364 परिवारों का रु 50/– प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से:–

वितीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि ₹
2021-22	29850	358	50	17900	47750	15500	32250
2022-23	32250	364	50	18200	50450	11800	38650
	नोटः– दिनाँक 31.03.2023 को बकाया गृहकर की राशि ₹38650/– है।						

Verified

G.P. Harbo
Dev. Block Rait

परिशिष्ट–"4"

ग्राम पंचायत हारबोह विकास खण्ड रैत , जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश स्टॉक/स्टोर की क्रय की गई सामग्री की प्रविष्टियां भंडार पुस्तिकाओं में न करना, औपचारिकताओं को पूर्ण किये विना स्टॉक/स्टोर क्रय करना व संयुक्त हस्ताक्षर के बिना भुगतान करना। पैरा संख्या– " 8.1 8.2, " में संदर्भित।

टनुदान	वो.स./ दिनांक	समाग्री का विवरण	विल.स./ दिनांक	मात्रा/रेट	आपूर्तिकर्ता	राशि ₹	टिप्पणी
1. एस.डी.पी	70/ 28.03.22	सीमेंट ढुलवाई	293/ 13.12.21	80bag@50	मै0 शमसेर सिंह बोह	4000	निविदा
2. एस.डी.पी	71/ 28.03.22	रेत बजरी बोल्डर	294/ 20.12.21	100cft@62 90cft@60 205cft@50	मै0 शमसेर सिंह बोह	6200 5400 10250	निविदा
3.आई.सी.डी.एस	73/ 28.03.22	रेत बजरी तोडवा पत्थर	297/ 16.12.21	131cft@62 38cft@60 950no@18	मै0 शमसेर सिंह बोह	8122 2280 17100	निविदा
4.आई.सी.डी.एस	74/ 28.03.22	दरवाजे वेंटीलेटर	47/ 18.12.21	2no@3100 2no@500	मै0 सुमन टेडर्ज दरिणी	6200 1000	निविदा
5.आई.सी.डी.एस	75/ 28.03.22	सेनेटरी सामान	220/ 15.12.21	-	मै0 रचना इटरप्राइजेज बोह	9000	निविदा
6.14वां वित	16/ 02.03.22	रंग— रोवन	2438/ 19.02.22	-	मैं0 अमर हार्डवेयर दरिणी	25430	स्टॉक प्रविष्टि
7.14वां वित	18/ 02.03.22	रेत बजरी बोल्डर	260/ 10.02.22	180cft@62 250cft@60 240cft@50	मै0 शमसेर सिंह बोह	11160 15000 12000	निविदा
8.14वां वित	19/ 02.03.22	रेत बजरी	261/ 15.02.22	50cft@62 190cft@60	मै0 शमसेर सिंह बोह	3100 11400	निविदा
9.वी.एम.जे.एस	28/ 13.09.22	स्टेशनरी	3931,3932/ 08.09.22	-	मैं0 डिम्पल बुक डिपो शाहपुर रैत	5035	स्टॉक प्रविष्टि,निविदा
10.एस.बी.एम	8/ 13.09.22	सरिया12mm सरिया10mm सरिया08mm	101/ 28.08.22	100kg@60.20 170kg@61.10 30kg@61.90	मैं0 कैपटन तरसेम एंटरप्राईजेज दरिणी बोह	6020 10387 1857	निविदा
11.मनरेगा	93/ 29.09.22	सीमेंट बैग	16931/ 04.03.22	160 @343.74	मैं0 हि.प्र.सिविल सप्लाई पुहाडा	54998	स्टॉक प्रविष्टि
				कुल जोड		225939	

नोट: 1. क्रम संख्या :- 6, 9, 11 की स्टॉक प्रविष्टि नहीं की गई थी।
2. क्रम संख्या 1 से 5, 7 से 10 तक की औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं किया गया।

Panchayat Secretary
G.P. H...
Dev. Block Rait

परिशिष्ट–5

ग्राम पंचायत हारबोह खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रायल्टी की कटौती न करने से राजस्व हानि (पैरा–"8उ' के सन्दर्भ में)

क.	आपूर्तिकर्ता का नाम	वो0स0 / दि0 / वि0स0	मद का नाम	मात्रा (cft/ sq.ft)	मात्रा (Cu.m)	निर्धारित फैकटर	मात्रा मी0टन (MT)	रोयल्टी प्रति (MT)	राशि (₹)
	2021–22								
	अनुदान – एस.डी.पी,आई.सी.डी.एस,14वां वित, मनरेगा								
1.	मै0 शमशेर सिंह बोह	71,73,18,19 / 28.03.22,2.3.22 / 294,297,260,261	रेत बजरी बोल्डर	461 568 445	13 16 13	1.62 1.52 2.24	21 24 29	80 80 80	1680 1920 2380
								जोड	5980
								पेनल्टी 25 %	1495
								जोड	7475
	2022–23								
	अनुदान– वी.एम.जे.एस,एस.बी.एम,15वां वित, मनरेगा								
2.	मै0 ओम चन्द बतुनी दरिणी	21,22,23,4,5,43,67,68,69,71,72 73,74,78,81,84,85,86 / 07.09.22,5.9.22,13.9.22,8.9.22 / 36,37,38,21,99,30,9,10,11,13,14,15,16,28,30,33,34,35	रेत बजरी बोल्डर	3150 5080 1010	89 144 29	1.62 1.52 2.24	144 218 64	80 80 80	11520 17440 5120
								जोड	34080
								पेनल्टी 25 %	8520
								जोड	42600
								कुल जोड(1+2)	50075

Verified

Panchayat Secretary
G.P.
Dev.